पेड न्यूज के बारे में मानदंड और दिशा-निर्देश

न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) के सदस्य/एसोसिएट सदस्य "पेड न्यूज" के कदाचार में लिप्त नहीं होते । लेकिन चूंकि "पेड न्यूज़" "नैतिकता" से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए जनता और लोकतंत्र के सर्वोच्च हित में और समाचार प्रसारण उद्योग की विश्वसनीयता को बनाए रखने के सर्वोत्तम हित में यह सख्त मानदंड और दिशा-निर्देश निर्धारित किये जा रहे हैं ताकि इस कदाचार की कोई गुंजाइश न रहे और इस पर पूरी तरह रोक लगी रहे ।

इस संबंध में, निम्नलिखित मानदंड और दिशा-निर्देश बनाये गये हैं जिनका कड़ाई से पालन करना एनबीए के सभी सदस्यों/एसोसिएट सदस्यों के लिए आवश्यक है ।

1. परिभाषाएँ:

इन मानदंडों और दिश-निर्देशों के प्रयोजन के लिए,

1.1 **"इकाई"** का मतलब है और इसमें शामिल है कोई व्यक्ति (चाहे प्राकृतिक हो अथवा कानूनी), कंपनी, साझेदारी फर्म, एकल स्वामित्व वाले फर्म, संस्था, न्यास, राजनीतिकदल, व्यक्तियों के समूह और इसी तरह के कोई भी अन्यसंगठन ।

1.2 **"तात्कालिक रिश्तेदार"** का अर्थ है और इस में शामिल हैं प्रभारी व्यक्ति के तात्कालिक रिश्तेदार जैसे पति या पत्नी, माता-पिता, भाई-बहन, बच्चे, आश्रित और अन्य उल्लेखनीय व्यक्ति ।

1.3 **"पेड समाचार"** का मतलब है और इसमें शामिल होंगे वे समाचार (चाहे राजनीतिक समाचार, व्यापारिक समाचार, खेल समाचार, मनोरंजन समाचार या किसी अन्य क्षेत्र से संबंधित समाचार हों) जिसे किसी न किसी वित्तीय या गैर-वित्तीय लाभ या पारितोषिक, या किसी अन्य प्रतिफल के आधार पर प्रसारित (चाहे समाचार बुलेटिनों के माध्यम से, समसामयिक कार्यक्रमों, विशेष कार्यक्रमों या किसी भी नाम से प्रसारित अन्य कार्यक्रमों के ज़रिए) किया गया हो या प्रसारित किये जाने से रोक दिया गया हो ।

1.4 **"प्रभारी व्यक्ति"** का मतलब होगा और इसमें शामिल होंगे किसी समाचार प्रसारण संगठन के कार्यकारी निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संपादकगण और प्रोड्यूसर समेत निदेशक मंडल के सदस्य, संपादकीय, प्रकाशन, और/या प्रबंधन कार्यकलापों पर निगरानी एवं नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति (और इसके एकवचन को इसी के आधार पर बना लिया जाये) ।

2. कोई समाचार प्रसारण संगठन किसी भी तरीके से पेड समाचार का प्रसारण नहीं करेगा अथवा न ही इससे कोई सम्बन्ध रखेगा ।

3. हर समाचार प्रसारण संगठन और उसका हर प्रभारी व्यक्ति समाचार प्रसारण संगठन की वेबसाइट/साइटों के जरिये किसी इकाई में अपनी किसी भी तरह की शेयर होल्डिंग, निवेश, अन्य इक्विटी भागीदारी या वित्तीय हितों या हित-विरोध (Conflict of Interest) को (विशेष तौर पर किसी भी "निजी क़रार यानी private treatise" के सहित) सार्वजनिक करेगा, चाहे वे किसी भी तरह के क्यों न हों। प्रत्येक प्रभारी व्यक्ति के तात्कालिक रिश्तेदार के पास भी किसी इकाई में किसी भी तरह की शेयर होल्डिंग, निवेश, अन्य इक्विटी भागीदारी या वित्तीय हितों या हित-विरोध (Conflict of Interest) होने (विशेष तौर पर किसी भी "निजी क़रार यानी private treatise" के सहित) की जानकारी भी सार्वजनिक की जायेगी।

4. किसी समाचार प्रसारण संगठन और/या किसी समाचार प्रसारण संगठन के प्रभारी व्यक्ति किसी भी इकाई से या उसकी ओर से उस इकाई के बारे में या उससे संबंधित किसी भी खबर के प्रसारण के मामले में किसी वित्तीय या गैर वित्तीय लाभ या पारितोषिक को स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वे किसी भी रूप में हों, नकद, ऋण, उपहार, छूट, आतिथ्य अथवा मनोरंजन आदि।

5. हर समाचार प्रसारण संगठन अपनी वेबसाइट पर अपनी इकाइयों के निदेशक मंडल, मैनेजिंग कमिटी या गवर्निंग बॉडी आदि के नामित व्यक्ति/व्यक्तियों या प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों के नाम घोषित करेगा।

6. हर समाचार प्रसारण संगठन किसी समाचार, समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम, खेल, मनोरंजन अथवा प्रचारात्मक (promotional) प्रसारण सहित किसी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान समुचित तरीके से सुस्पष्ट तौर पर अपने टेलीविजन चैनल/चैनलों और अपनी वेबसाइट/वेबसाइटों के जरिये यह बतायेगा कि ऐसे प्रसारण की सामग्री या विषय-वस्तु के लिए, जो किसी भी प्रकार से उक्त प्रसारण का विषय है, उसे किसी इकाई से या उसकी ओर से भुगतान किया गया है, और ऐसा प्रसारण "एडवरटोरियल" या अन्य मीडिया मार्केटिंग की गतिविधि के तहत है।

7. लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया के महत्व को ध्यान में रखते हुए, कोई भी समाचार प्रसारण संगठन किसी भी चुनाव के संबंध में चुनाव सम्बन्धी समाचारों के लिए (जिनमें जनमत सर्वेक्षण अथवा इसी तरह के अन्य कार्यक्रम भी शामिल हैं) किसी भी तरह का वित्तीय या गैर-वित्तीय प्रतिफल, लाभ या पारितोषिक (जिसमें स्पान्सरशिप भी शामिल है) ऐसी किसी इकाई से स्वीकार नहीं करेगा, जिसका सम्बन्ध प्रमुख रूप से चुनावों या किसी राजनीतिक दल या किसी उम्मीदवार से हो।

परंतु कोई समाचार प्रसारण संगठन उस स्थिति में किसी चुनाव के संबंध में किसी उम्मीदवार या किसी राजनीतिक दल के संबंध में किसी विषेश रिपोर्ट या कार्यक्रम का प्रसारण कर सकता है, जिसे प्रायोजित किया गया हो या जिसके लिये भुगतान लियागयाहो, जब कार्यक्रम या विशेष रिपोर्ट के

प्रसारण की पूरी अवधि के दौरान प्रमुखता से और स्पष्ट तौर पर यह प्रदर्शित किया जाये कि यह कार्यक्रम प्रायोजित है अथवा इसके लिये भुगतान लिया गया है।

8. चुनावों से मुख्य रूप से सम्बन्धित सभी समाचारों, रिपोर्ताज, या कार्यक्रमों की निगरानी और निरीक्षण वरिष्ठतम कार्यकारी सम्पादकीय पद (पदनाम चाहे जो भी हो) सम्भाल रहे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा और वह किसी भी तरह की गलत रिपोर्टिंग अथवा इन मानदंडों एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होगा।

9. उपरोक्त मानदंड और दिशा-निर्देश समान रूप से किसी समाचार प्रसारण संगठन में काम करने वाले या उससे जुड़े सभी पत्रकारों, संवाददाताओं और अंशकालिक संवाददाताओं (stringers) पर लागू होंगे, सिवा इसके कि जो पत्रकार, संवाददाता एवं अंशकालिक संवाददाता ऐसी किसी विषय-वस्तु के सम्बन्ध में रिपोर्ट या समाचार कर रहा हो, जिससे सम्बन्धित उसकी कोई शेयर होल्डिंग, निवेश, अन्य प्रकार की इक्विटी भागीदारी या किसी प्रकार के वित्तीय हित हों या कोई 'हित-विरोध' (Conflict of Interest) हो, तो वह इस की लिखित जानकारी सब से वरिष्ठतम सम्पादकीय पद सम्भाल रहे व्यक्ति को देगा. और ऐसी स्थिति में यह सम्पादक को तय करना होगा कि वह उस पत्रकार, संवाददाता या अंशकालिक संवाददाता को उस विषय-वस्तु पर समाचार देने का काम जारी रखने की अनुमति दे अथवा उसे ऐसे विषय-वस्तु पर रिपोर्टिंग करने से अलग कर दे।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इन नियमों का किसी भी तरह का उल्लंघन समाचार प्रसारण मानक (विवाद निपटारा) नियमावली, जिनमें उक्त नियमावली के विनियम 7.1 के सभी प्रावधान शामिल हैं, के अन्तर्गत कार्यवाही और उसके परिणामों के अधीन होगा।

परन्तु, इन नियमों और मानदंडों के किसी भी तरह के उल्लंघन के लिये समाचार प्रसारण मानक (विवाद निपटारा) नियमावली के विनियम 7.1 के तहत लगाये गये जुर्माने की सीमा एक लाख रुपये तक सीमित नहीं रहेगी और ऐसे किसी उल्लंघन के मामले में समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण किसी भी समाचार प्रसारण संगठन पर किसी पेड समाचार के लिये स्वीकार किये गये वित्तीय या गैर वित्तीय प्रतिफल, लाभ या पारितोषिक (स्पान्सरशिप सहित) से दस गुना अधिक तक जुर्माना करने के लिये अधिकृत होगा।

24 नवंबर, 2011